104

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/6045 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24–10–2017 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल – प्रकरण क्रमांक 12/2013–14 अपील

जुन्दारी यादव पुत्र केमला,ग्राम बरहा टोला
तहसील व जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

1– ददन 2– बूदन 3– सत्यनारायण
4– लल्ला 5– गोपी 6– रसिया
7– गीता 8– भुन्तू सभी जाति यादव
पुत्र/पुत्री स्व. केमला यादव
ग्राम बरहा टोला तहसील व जिला अनूपपुर ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0के0देवपाण्डे)

आ दे श

(आज दिनांक 08 – 08 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण क्रमांक 12/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–10–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि केमला यादव के नाम ग्राम बरहाटोला में भूमि सर्वे क्रमांक 87 रकबा 0.202 हैक्टर थी। केमला यादव की मृत्यु होने के उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 20 पर आदेश दिनांक 19–10–1983 से मृतक खातेदार के पुत्र ददन यादव का नामान्तरण स्वीकार किया गया। नामान्तरण आदेश दिनांक

19-10-1983 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष वर्ष 2010 में अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर ने प्र0क0 60/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-11-2015 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-17 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर के आदेश दिनांक 26-11-2015 के विरूद्ध अपर आयुक्त शहडौल के समक्ष अपील की गई थी एंव बताया गया था कि भूमि के मुख्य मालिक केमला यादव थे जिनके सभी वारिस आवेदक एंव अनावेदकगण है। बिना सहमति के केवल ददन यादव का नामान्तरण किया गया था, जबकि केमला यादव की जुंदारी यादव पुत्री थी जिसे सूचना दिये बिना नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 20 पर आदेश दिनांक 19-10-1983 से ददन यादव का नामान्तरण किया गया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने इस पर गौर किये बिना ही अपील निरस्त करने में भूल की गई है , इसलिये निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि केमला यादव की मृत्यु होने के उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर आदेश दिनांक 19-10-1983 से मृतक के पुत्र ददन यादव का नामान्तरण स्वीकार किया गया है। नामान्तरण आदेश दिनांक 19-10-83

के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के समक्ष वर्ष 2010 में अपील प्रस्तुत हुई, जो 27 वर्ष के अंतराल से है यदि ददन को छोडकर अन्य अनावेदकगण एंव आवेदक केमला यादव के विधिक वारिस (पुत्र/पुत्री) है निश्चित है कि वर्ष 1983 में केमला यादव की मृत्यु की जानकारी उन्हें रही है क्योंकि मृतक केमला यादव के अंतिम क्रिया-कर्म में वह सम्मिलित रहे होंगे तथा केमला यादव के नाम पर भूमि है इसकी भी जानकारी उन्हें रही होगी, इसके वाद भी वर्ष 1983 से वर्ष 2010 तक स्वयं् की नामान्तरण कार्यवाही पर चुप बैठे रहना तथा वर्ष 2010 में जाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करना संदेह-उत्पन्न करता है जो वाद की शोच मानी जावेगी, जिसका लाभ पाने का वर्तमान भूमिस्वामी ददन हकदार है। उपचार केवल व्यवहार वाद है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर के आदेश दिनांक 26-11-2015 एंव अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 24-10-17 में निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण क्रमांक 12/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-10-17 उचित पाये जाने से निगरानी इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर